



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना गिरवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचे व जिन्दा कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 03.08.2025 की रात्रि थाना गिरवां पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि नहर पुलिया सौता स्योढ़ा पुलिया के पास एक युवक घूम रहा है जिनके पास अवैध तमंचा है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तथा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 12 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हरिश्चन्द्र पुत्र रामसजीवन वर्मा निवासी ग्राम सौता स्योढ़ा थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 241/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री यज्ञनारायण भार्गव चौकी प्रभारी खुरहण्ड
2. कां0 महेन्द्र कुमार
3. कां0 संजय कुमार